



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112022-240245
CG-DL-E-14112022-240245

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5038]
No. 5038]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

(आयकर)

का.आ. 5257(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा का. आ. संख्या 2692 (अ) दिनांक 10 जून, 2022 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना संख्या 60/2022 दिनांक 10 जून, 2022, में निम्न संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रमांक 7 में, स्तंभ संख्या (3) में, —

- (I) मद (ii) में, स्तंभ संख्या (4) में, मद (iv) की प्रविष्टियां और स्तंभ संख्या (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को, हटा दिया जाएगा;
- (II) मद (v) में, स्तंभ संख्या (4) में, मद (iv) की प्रविष्टियां और स्तंभ संख्या (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को, हटा दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना संख्या 123/2022 फा.सं.187/3/2020-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 60/2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2692 (ई) दिनांक 10 जून, 2022 के तहत प्रकाशित की गई थी, शुद्धिपत्र का. आ. 3044(अ) दिनांक 04 जुलाई, 2022 के साथ पढी जाए।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

New Delhi, the 14th November, 2022

(INCOME TAX)

S.O. 5257(E).—In exercise of powers conferred by section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes No.60/2022 dated the 10th June, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2692(E) dated the 10th June, 2022, namely: —

In the said notification, in the SCHEDULE, in serial number 7, in column number (3), —

- (I) in item (ii), in column number (4), the entries at item (iv) and the entries relating thereto in column number (5), shall be omitted;
- (II) in item (v), in column number (4), the entries at item (iv) and the entries relating thereto in column number (5), shall be omitted.

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[Notification No.123/ 2022 F.No.187/3/2020-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note : The principal notification No.60/2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 2692(E) dated the 10th June, 2022 read with Corrigendum S.O. 3044(E) dated 04th July, 2022.